— प्रेस नोट —

जनपद मीरजापुर

दिनांक 08.04.2021

पेशेवर अपराधी की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित 01 करोड़ 05 लाख की सम्पति की गयी जब्त—

अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम आज दिनांक 08.04.2021 को पेशेवर अपराधी बाबू खा उर्फ मो0 आजम पुत्र स्व0 फिरोज अहमद उर्फ रोज मोंहम्मद निवासी तरकापुर थाना को0 शहर मीरजापुर की 01 करोड़ 05 लाख (अनुमानित किमत) की सम्पति थाना को0 देहात पुलिस द्वारा जब्त की गयी। बाबू खां उर्फ मो0 आजम एक शातिर अभ्यस्त गिरोह बन्द अपराधी है, उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना को0 देहात पर मु0अ0स0-64/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट पंजीकृत है। बाबू खां उर्फ मो0 आजम अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है। इस प्रकार विधिसम्मत प्रकिया से भिन्न प्रकिया अपनाकर उसके परिणाम स्वरुप अवैध सम्पति अर्जित की गयी है, उसके पास अन्य कोई ज्ञात व वैध आय के श्रोत नही है, थाना प्रभारी को0 देहात के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शातिर गिरोह बन्द अपराधी बाबू खा उर्फ मो0 आजम पुत्र स्व0 फिरोज अहमद उर्फ रोज मोंहम्मद निवासी तरकापुर थाना को0 शहर मीरजापुर के अचल सम्पति ग्राम फुलियारी तहसील मड़िहान जनपद मीरजापुर में स्थित क्रय शुदा जमीन पर बना फार्म हाउस जिसकी कीमत करीब 01 करोड़ 05 लाख रुपये है, को जब्त करने का आदेश दिया गया था। जिसके अनुपालन में उपजिलाधिकारी मड़िहान के नेतृत्व थाना प्रभारी निरीक्षक को0 देहात, प्रभारी निरीक्षक पड़री पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा उक्त अचल सम्पति जब्त की गयी।

विवरण सम्पति-

अचल सम्पति ग्राम फुलियारी तहसील मड़िहान जनपद मीरजापुर में स्थित क्रय शुदा जमीन पर बना फार्म हाउस , जिसकी कीमत करीब 01 करोड़ 05 लाख रुपये है।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0-504/2006 धारा 302,201 भा0द0वि0 थाना को0 शहर मीरजापुर।

2-मु0अ0सं0-323/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात मीरजापुर।

3-मु0अ0स0-312/2020 धारा 302,201 भा0द0वि0 थाना को0 देहात मीरजापुर।

4-मु0अ0स0-64/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 गैंगेस्टर थाना को0 देहात मीरजापुर।

आवश्यक सूचना
थाना को0 देहात मीरजापुर पर पंजीकृत
64/21 धारा
उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज
क्रियाकलाप निवारण
अधिनियम 1986 से सम्बन्धित
मो0 आजम पुत्र
स्व0 फिरोज मोहम्मद उर्फ रोज मोहम्मद
थाना को0
शहर जनपद मीरजापुर की ग्राम
आराजी सं0 35ग
रकबा 0.1399 हे0
को धारा
14(1) उ0प्र0 गै0 अधि0 के

आवश्यक सूचना
थाना को0 देहात मीरजापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/21 धारा
3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण
अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभि0 बाबू खाँ उर्फ मो0 आजम
फिरोज मोहम्मद उर्फ रोज मोहम्मद
जनपद मीरजापुर की ग्राम
0.1399 हे0 जमीन जिस पर
उ0प्र0 गै0 अधि0 के अन्तर्गत जप्त